आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/उप–कार्यकर्ता के आवेदनों पर समिति का अभिमत

Date-22-04-2010

क्र.	शिकायत कर्ता का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत/नगर पंचायत का नाम	चयनित महिला को प्राप्तांक	पद नाम	शिकायत का विवरण	समिति का अभिमत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कु. भारती पुत्री श्री अम्बिकाप्रसाद	गढ़ीसीता	मौतीपुरा	शशि देवी कुल प्राप्तांक–40	सहायिका	शिकायतकर्ता द्वारा चयनित सूची में हेराफेरी करते हुए उक्त सहायिका पद पर गलत नियुक्ति करना बताया गया है, साथ ही दिनांक 20.04.2010 को सुनवाई के समय प्रस्तुत आवेदन में बीपीएल के अंक प्रदाय न करने की शिकायत दर्ज कराई है।	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि परियोजना कार्यालय से तीन पृथक–पृथक सूचियां जारी की गईं। जिसमें भ्रमात्मक स्थिति है। परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभिमत के आधार पर जिस सूची में नाम अंकित चयनित एवं प्रतिक्षारत जारी किया गया। जो कार्यालय से प्रमाणित नहीं है तथा दौनों पात्र आवेदिकाओं द्वारा 5 वीं की अंकसूची संलग्न न करने के कारण पद रिक्त रखा गया। लेकिन जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जिनके द्वारा 5 वीं से अधिक योग्यता की अंकसूची संलग्न की है उन्हें 5 वीं के न्यूनतम अंक प्रदाय किये जावें। अतः न्यूनतम अंक प्रदाय किये जाकर समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिक आयु की शशि देवी का चयन किया गया। सुनवाई के समय आपत्तिकर्ता द्वारा	

							बीपीएल के अंक प्रदाय न करने का उल्लेख किया गया। रिकार्ड के अवलोकन करने पर संलग्न बीपीएल राशन कार्ड सही प्रमाणक पाया गया। अतः कु. भारती को 10 अंक देने के उपरांत 50 अंक प्राप्त होते हैं। अतः इनकी नियुक्ति की जाये।	
2	कुं. अंजू कुशवाह पुत्री श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह	बेहडकीजमेह	डूंगरपुरा	रानी देवी कुल प्राप्तांक–43	कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रानी देवी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह ग्रामपंचायत बेहड़कीजमेह पंचायत डूंगरापुरा की नियुक्ति एवं फर्जी दस्तावेजों की जांच करने शिकायत में उल्लेख है कि चयनित आवेदिका श्रीमती रानी देवी ग्राक की मूल निवासी नहीं है उनका बोटरकार्ड फर्जी है।	आपत्तिकर्ता द्वारा चयनित आवेदिका के मूल निवासी न होने के संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस आधार पर आपत्ति अमान्य की गई। चयनित आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ में बोटर कार्ड लगाया गया है। जो विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर तैयार होता है। आपत्तिकर्ता द्वारा बोटर कार्ड के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आपत्ति अमान्य की गई।	
3	श्रीमती अलकारानी पत्नी श्री विमलेश सिंह	वार्ड क्रमांक–7 अकोड़ा	अकोड़ा	सरिता कुल प्राप्तांक–40	कार्यकर्ता	अकोड़ा वार्ड 7 में कार्यकर्ता पद हेतु चयन प्रकिया के विषय में आपत्ति बावत्। शिकायतकर्ता के अनुसार वह वार्ड क्रमांक–7 की मूल निवासी है। अतः उसका चयन किया जाये।	आपत्तिकर्ता के स्थानी मूल निवास के संबंध में कोई प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने से इन्हें मूल निवासी नहीं माना गया, अतः आपत्ति अमान्य की गई। सुनवाई दिनांक को भी उन्हें स्थानीय निवासी प्रमाणित करने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन वे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर	

							सकीं।	
4	बेबा रविता देवी पत्नी स्व. श्री मुकेश सिंह	लहरौली (हरिजन बस्ती थोक)	लहरौली	रविता देवी कुल प्राप्तांक–51	कार्यकर्ता	चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए नियुक्ति प्रमाण–पत्र लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, आवेदन के अनुसार उन्हें अंतिम चयन सूची में नाम प्रकाशन होने के उपरांत नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।	डीपीसी द्वारा श्रीमती रविता देवी को शिशु शिक्षा केन्द्र भीकमपुरा में दीदी का अनुभव प्रमाण–पत्र प्रमाणित किया गया। साथ ही श्रीमती रेनू देवी के आवेदन–पत्र पर डीपीसी द्वारा उक्त केन्द्र में दीदी का कोई पद न होने का उल्लेख किया गया। ऐसी स्थिति में समक्ष में बुलाया जाकर निराकरण हेतु नस्ती श्रीमान् जी की ओर प्रेषित है। कलेक्टर महोदय द्वारा डीपीसी को रिकार्ड परीक्षण कर अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। अतएव उक्त प्रकरण का निराकरण हेतु दिनांक 06.05.2010 तक समय सीमा दी गई।	
5	श्रीमती अनीता पत्नी श्री सतेन्द्र सिंह	मोहनसिंह का पुरा	सिकहाटा	लक्ष्मी देवी कुल प्राप्तांक–55	कार्यकर्ता	नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र मोहनसिंहकापुरा पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में आपत्ति में आवेदन का उल्लेख किया गया हैं, चयनित आवेदिका ग्वालियर की निवासी हैं अतएवं चयनित आवेदिका की नियुक्ति निरस्त कर मेरी नियुक्ति की जायें।	आपत्तिकर्ता द्वारा चयनित आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री कमलेश के ग्वालियर निवास की मतदाता सूची प्रस्तुत की थी लेकिन चयनित आवेदिका द्वारा ग्राम मोहनसिंहकापुरा के मूल निवासी समस्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये हैं। साथ ही ग्वालियर की निश्सन सूची प्रस्तुत की गई। साथ ही आपत्ति अमान्य की गई।	
6	श्रीमती पूनम पत्नी श्री रामनरेश सिंह	राजहंश का पुरा	जखमौली	पिंकी देवी कुल प्राप्तांक–49	उप–कार्यकर्ता	वरीयता के आधार पर नियुक्ति न देने बावत्।	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया गया	

						आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि चयनित आवेदिका पिंकी पत्नी श्री धर्मेन्द्र से आपत्तिकर्ता के अंक ज्यादा हैं, लेकिन वरीयता को ध्यान में रखे बिना ही उक्त पद वर श्रीमती पिंकी का चयन किया गया है। जो गलत है।	है कि इसे सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के उपरांत भी उनका चयन नहीं किया गया। तथा मुझ प्रार्थी को बीपीएल के अंक भी प्रदाय नही किये गये हैं, रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा मूल निवास के संबंध में जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उसके अनुसार वोटर कार्ड में ललिता देवी नाम दर्शाया गया हैं, तथा बीपीएल के राशन कार्ड में इनके द्वारा काट छाट की गई हैं जिसकी पुष्टि संबंधित के मूल बीपीएल कार्ड से स्पष्ट की गई अतः इनको बीपीएल के अंक नही दिये गयें है। ग्राम राजहंशकापुरा के नाम से केन्द्र स्वीकृत किया गया है, आवेदिकाओं में से मात्र एक ही आवेदिका श्रीमती पिंकी के प्रमाण–पत्रों के आधार पर जखमोली की पाई गई जिसका चयन किया गया, लेकिन आज दिनांक को अपर कलेक्टर महोदय द्वारा समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार मूल निवास हेतु राजस्व ग्राम को ईकाई मानते हुये कार्यवाही की जायें ऐसी स्थिति में श्रीमती रेखा पत्नी धीरेन्द्र सिंह के सर्वाधिक अंक 50 होने के कारण उक्त पद पर रेखा देवी का चयन किया गया जो ग्राम	

							जखमोली की निवासी हैं।	
7	श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री शिवराज सिंह	रामनगर	समन्ना	राजेन्द्र देवी कुल प्राप्तांक–70	सहायिका	आंगनबाड़ी केन्द्र रामनगर ग्राम पंचायत समन्ना में सहायिका पद हेतु चयनित राजनदेवी पत्नी श्री ग्याराम की फर्जी अंकसूची एवं बीपीएल राशन कार्ड की जांच करायी जाये एवं इनके द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी होने का उल्लेख किया गया।	आपत्ति के आधार पर रिकार्ड का अवलोकन किया। चयनित आवेदिका श्रीमती राजन देवी द्वारा प्रस्तुत बीपीएल राशन कार्ड की आपत्ति अमान्य की जाती है, तथा चयनित आवेदिक का बीपीएल कार्ड सही पाया गया। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्य की जाती है।	
8	श्रीमती विनोद पत्नी स्व. श्री रामवरन सिंह	भवानीपुरा	ककहरा	इंदू भदौरिया कुल प्राप्तांक–47	उप–कार्यकर्ता	गलतरूप से की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त किये जाने बावत्।	आपत्ति कर्ता द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका एक विधवा गरीब लेकिन उक्त पद पर एक सम्पन्न परिवार की महिला का चयन किया गया हैं। आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदन के संलग्न में निवास संबंध जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे उनके अनुसार आपत्ति कर्ता ग्राम भवानीपुरा की स्थानीय निवासी नही पायी गयी, यह ग्राम ककहरा की मूल निवासी हैं आज दिनांक को अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजस्व ग्राम को मूल निवास ईकाई मानते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है ऐसी स्थिति में श्रीमती विनोद पत्नी स्व. श्री रामवरन को अधिक आयु के आधार पर चयनित किया	

							जायें।	
9	श्रीमती पिंकी शाक्य पत्नी श्री अनंतराम शाक्य	बरही	बरही	संतोष कुल प्राप्तांक–60	उप–कार्यकर्ता	आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मैं बरही शाक्य बस्ती की निवासी हूं। तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र मेरा द्वारा संलग्न किया गया है।	आपत्ति के आधार पर रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि श्रीमती पिंकी शाक्य को सर्वाधिक अंक प्राप्त होने के कारण अनंतिम सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है लेकिन दावा आपत्ति के समय समिति द्वारा श्रीमती पिंकी शाक्य का जाति प्रमाण–पत्र मान्य न करने पर उनके 10 अंक विलोपित किये गये। क्योंकि उक्त प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में श्रीमती पिंकी शाक्य को कुल 58 अंक प्राप्त हुये। और श्रीमती संतोष पत्नी श्री रमेश कुमार को 5 वीं की अंकसूची संलग्न न करने के कारण न्यूनतम 30 अंक प्रदाय किये। तथा सभी अंक जोड़ने के उपरांत कुल 60 अंक प्राप्त हुये। अतः उक्त पद पर श्रीमती संतोष पत्नी श्री रमेश कुमार का चयन सही पाया गया। और आपत्ति अमान्य की गई।	
10	श्रीमती राममूर्ती पत्नी श्री अजमेर सिंह कुशवाह	कटनपुरा	बबेड़ी	राजनश्री कुल प्राप्तांक–72	उप–कार्यकर्ता	प्रार्थी राममूर्ती पुत्री श्री गंगाराम पत्नी श्री अजमेर सिंह की आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता बबेड़ी पर नियुक्ति किये जाने एवं प्रति प्रार्थिया राजनश्री पुत्री	आपत्तिकर्ता की आपत्ति स्वीकार की गई, चयनित आवेदिका को 5 वीं की संलग्न कर अंक सूची के आधार पर 84 प्रतिशत दिया गया था, जिसका सत्यापन	

						श्री रामजीत की अवैध तरीके से की गई नियुक्ति निरस्त किये जाने बाबत्।	उपरांत संबंधित संस्था से प्राचार्य द्वारा प्रदत्त की गई अंकसूची के आधार पर 57 प्रतिशत का प्रमाणीकरण/पुष्टि प्राप्त हुई है। उक्त आधार पर चयनित आवेदिक के कुल 58 अंक होते हैं। अतः राममूर्ति पत्नी अजमेर सिंह को कुल 64 अंक प्राप्त होने से चयन किया गया।	
11	श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री कम्मोद सिंह	गुज्जाकापुरा	भगवासी	श्रीमती राधा कुल प्राप्तांक–40	सहायिका	आंगनबाड़ी सहायिका में अनियमित्ताएं हेतु। शिकायतकर्ता के अनुसार वह ग्राम की मूल निवासी है। अतः उसका चयन किया जाये।	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ मूल निवासी संबंधी जो भी प्रमण–पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार आपत्तिकर्ता को ग्राम गुज्जाकापुरा का निवासी नहीं होना पाया गया। मात्र एक ही आवेदिका ग्राम गुज्जाकेपुरा की निवासी पाई गई, अतः आपत्ति अमान्य की गई।	
12	श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री दिलीप सिंह	मुचाई का पुरा	लहरोली	अनीता कुल प्राप्तांक–51	मिनी कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि वह ग्राम की मूल निवासी होने के साथ–साथ सर्वोच्य अंक रखती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का चयन किया जावे।	आपत्तिकर्ता श्रीमती रीता देवी द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि उन्हें सर्वोच्य अंक प्राप्त होने पर भी उनका चयन नही किया गया। रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि अनंतिम सूची एवं अंतिम सूची में उल्लेख किया गया है कि	

							श्रीमती रविता देवी को निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण चयन से वंचित रखा गया है। आज दिनांक को सुनवाई के दौरान श्रीमती रीता देवी के आवेदन का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया गया कि शासन से निर्धारित प्रारूप एवं रीता देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रविष्टियों में कोई अंतर नहीं है। अतः इनका आवेदन स्वीकार करते हुए सर्वोच्च्य अंक प्राप्त होने के कारण इनकी नियुक्ति की जाती है।	
13	श्रीमती शिवकुमारी पत्नी स्व. श्री कृष्णकांत	वार्ड नं. 7	अकोड़ा	सरिता कुल प्राप्तांक–40	सहायिका	आंगनबाड़ी सहायिका की सूची में चयन के पश्चात् फार्म गलत तरीके से निरस्त करने के संबंध में। शिकायतकर्ता के अनुसार वह वार्ड क्रमांक–7 मूल निवासी है। अतः उनका चयन किया जावे।	आपत्तिकर्ता श्रीमती शिवकुमारी पत्नी स्व. श्री कृष्णकांत समक्ष में उपस्थित हुई इनके द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया है कि वह वार्ड नं. 7 की मूल निवासी है। इनके द्वारा आवेदन के साथ मूल निवास के संबंध में वार्ड नं. 7 का राशन कार्ड, पती के मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन बोटरकार्ड में वार्ड नं. 5 उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है इसलिए इन्हें मूल निवासी नहीं माना गया था। अतः इनका मूल रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि इनके द्वारा राशनकार्ड एवं पति का मृत्यु	

							प्रमाण–पत्र हो प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों से स्पष्ट है कि श्रीमती शिवकुमारी वार्ड नं. 7 की निवासी हैं। अतः इन्हें सहायिका के पद पर चयन किया जावे । चयनित कु. सरिता पुत्री श्री शैलेन्द्र द्वारा कार्यकर्ता पद पर चयन हो जाने से स्तीफा दिया जा चुकी है।	
14	श्रीमती नीलम पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह	नवलपुरा खरिका	खरिका	अलेखा कुल प्राप्तांक–71	उप–कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की आवेदिका है और नबलपुरा केन्द्र पर श्रीमती अलेखा पत्नी श्री कमलेश कुमार का चयन किया गया है जो नियम विरुद्ध है। आवेदिका के सबसे अधिक अंक 72 हैं और उसे जाति के अंक प्रदाय नहीं किये गये हैं।	आपत्तिकर्ता श्रीमती नीलम पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका को जाति के नम्बर नहीं दिये गये हैं। रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमती नीलम द्वारा आवेदन के साथ जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस कारण अनंतिम सूची में इन्हें जाति के अंक प्रदाय नहीं किये गये, लेकिन जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्ति के साथ प्रस्तुत जाति प्रमाण–पत्र को मान्य किया गया। अतः इनको कुल अंक 76 प्रदाय किये गये। पूर्व में आवेदन के साथ श्रीमती नीलम द्वारा जाति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया। जिसमें जाति के अंक दिये जाना न्यायोचित नहीं हैं।	
15	श्री रामरतन पुत्र श्री भूरेलाल	नहटौली	नहटौली	भामीना कुल प्राप्तांक–64	उप–कार्यकर्ता	ग्रामी पंचायत मीसा मजरा हरिजन बस्ती नहटौली पर उप– आंगनबाड़ी कार्यकर्तो	आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि उप आंगनवाडी केद्रं नहटौली	

						में चयनित दर्शाई गई महिला शमीना पत्नी श्री फिरोज खां की फर्जी अंकसूची कक्षा 5 व 8 की जांच कराये जाने बावत्।	हरिजन बस्ती में ग्राम मदन पुरा की निवासी का चयन किया गया हैं। अतः इनके द्वारा जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं वे फर्जी हैं रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट हुआ कि चयनित आवेदिका कु. शमीना द्वारा प्रस्तुत मूल निवासी एवं राशन कार्ड में नहटौली हरिजन बस्ती अंकित हैं, साथ ही आज दिनांक को अपर कलेक्टर द्वारा मूल निवास के संबंध में राजस्व ग्राम को ईकाई मानते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दियें। अतः कु. शमीना को सर्वाधिक अंक प्राप्त होने एवं स्थानीय निवासी होने के कारण पद पर यथावत रखा जाता हैं। अतएव आपत्ति कर्ता का आवेदन अमान्य किया जाता हैं।	
16	श्रीमती सुनीता देवी वेबा रामनारायण	पुरा डूमना	अंतरसूमा	रामवेटी कुल प्राप्तांक–72	उप–कार्यकर्ता	प्रार्थिया का नाम अनंतिम सूची में होने के बाद अंतिम सूची में नाम हटा दिया गया है। अतः पुनः प्रकरण की जांच कर मुझ प्रार्थिया की नियुक्ति करने का कश्ट करें।	आपत्ति कर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी कि प्रार्थी का नाम अंनतिम सूची में प्रकाशित किया गया था लेकिन अंतिम सूची में नाम हटा दिया गया। रिकार्ड के अवलोकन करने पर पाया गया कि दावे आपत्ति के निराकरण के समय आपत्ति कर्ता श्रीमती सुनीता देवी का जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से जारी होने के कारण मान्य	

							नही किया गया अतः 10 अंक विलोपित किया गया ऐसी स्थिति में इनका नाम अंतिम सूची मे प्रकाशित नही हुआ लेकिन चयनित आवेदिका द्वारा पद से स्तीफा देने के कारण प्रतिक्षारत होने से इनका चयन कर दिया गया।	
17	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री कमलेश सिंह	पाखर का पुरा	नुन्हाटा	रजनी देवी कुल प्राप्तांक–68	उप–कार्यकर्ता	आपत्तिकर्ता द्वारा चयनित आवेदिका श्रीमती रजनी देवी को ग्राम का निवासी न बताते हुये भिण्ड का निवासी बताया गया है अतः रजनी देवी की 5 वी की अंक सूची फर्जी बतायी गयी	आपत्ति के संबंध में रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार चयनित आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ ग्राम पाखर के पुरा का मूल निवासी, वोटर कार्ड तथा बीपीएल का राशन कार्ड पाखरकेपुरा का संलग्न किया गया हैं। अतः आपत्तिकर्ता की आपत्ति अमान्य की गयी	
18	संजू देवी पत्नी श्री कम्मोद सिंह	गुज्जाकापुरा	भगवासी	राधा कुल प्राप्तांक–40	आंगनबाड़ी सहायिका	आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि वह ग्राम की मूल निवासी होने के साथ–साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करती है तथा 8 वीं तक पास है। अतः मेरा चयन किया जाये।	रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया कि आंगनवाडी केन्द्र गुज्जापुरा के नाम से स्वीकृत किया गया हैं, तथा आपत्ति कर्ता ग्राम भगवासी की मूल निवासी हैं ऐसी स्थिति में इन्हें ग्राम का मूल निवासी नही माना गया हैं, जो खण्डस्तरीय चयन समिति तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया। आज दिनांक का अपर कलेक्टर महोदय द्वारा मूल निवास के संबंध में राजस्व ग्राम को ईकाई मानते हुये कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त प्रकरण में राजस्व	

							ग्राम के आधार पर निराकरण किया जावें।	
19	कु. एकता पुत्री श्री रमेश	बेहड की जमेह	डूगर पुरा	कविता कुल प्राप्तांक–45	सहायिका	आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगो द्वारा मेरी फर्जी अंक सूची तैयार कर मेरी उम्र कम दर्शादी गयी है इस कारण मेरा नाम अनंतिम सूची में जारी होने के उपरान्त, अंतिम सूची में हटा दिया गया।	रिकार्ड के अवलोकन मे पाया गया कि आपत्तिकर्ता की आयु संलग्न सूची अनुसार आवेदन करते समय 18 वर्ष पूर्ण कर ली गयी हैं लेकिन जिला स्तरीय समिति द्वारा आवेदन के प्रारूप में उल्लेखित 01 जनवरी 2009 के मान से कु. एकता की आयु का आंकलन किया गया। जब की उक्त पद हेतु आवेदन अगस्त 2009 में आमंत्रित किये गये।	
20	श्रीमती संतोशी पत्नी श्री विनोद कुमार	नबलपुरा	खरिका	अलेखा कुल प्राप्तांक–71	उप–कार्यकर्ता	आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि चयनित आवेदिका श्रीमती अलेखा का बीपीएल कार्ड फर्जी है जिनके बीपीएल के अंक काटे जाकर मुझ प्रार्थिया का चयन किया जावे।	रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमती अलेखा द्वारा प्रस्तुत बीपीएल का राशनकार्ड जो 2006 में जारी किया गया है। आवेदन के संलग्न किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा जो राशनकार्ड अलेखा देवी का प्रस्तुत किया गया है वह भी 2006 में जारी होना पाया गया। इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता द्वारा समक्ष में तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 23.03.2010 अवलोकन कराया। जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा अलेखा देवी द्वारा प्रस्तुत बीपीएल कार्ड क्रमांक–031047 निरस्त करते हुए बीपीएल सूची से नाम हटाने का अदेश पारित किया है लेकिन	

							आवेदन के समय एवं दावे आपत्तियों के निराकरण के समय अलेखा बाई का नाम बीपीएल सूची में होना पाया गया। अतः आपत्ति अमान्य की गई।	
21	श्रीमती मंजूलता भार्मा पत्नी श्री रमन कुमार भार्मा	नहटोली	मीसा	भामीना कुल प्राप्तांक–64	उप–कार्यकर्ता	आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिया को 720 में से 636 अंक प्राप्त हुये हैं। जिससे उनका प्रतिशत 88.33 बनता है लेकिन कार्यालय से उनका अंकों का आंकलन गलत किया जाकर समीना नाम की महिला का चयन किया गया है। जो कि गलत है।	आपत्ति के आधार पर रिकार्ड का अवलोकन किया गया। श्रीमती मंजूलता भार्मा द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत 5 वीं की अंकसूची में प्राप्तांक के कॉलम में टोटल की जगह निरंक पाई गई थी। इस आधार पर उनके अंकों का आंकलन सही नहीं किया जा सका। सुनवाई के समय पुनः शिकायतकर्ता द्वारा 5 वीं की अंकसूची की छायाप्रति के आधार पर प्रस्तुत की है। इसके आधार पर उनका प्रतिशत 88.33 पाया गया। ऐसी स्थिति में श्रीमती मंजूलता भार्मा को सभी अंक जोड़ने के उपरांत कुल 64 अंक प्राप्त होते हैं। पूर्व में चयनित आवेदिका अमीना पत्नी श्री सरोज खां को कुल 64 अंक प्राप्त हुये। ऐसी स्थिति में दोनों को समान अंक प्राप्त होने पर श्रीमती मंजूलता भार्मा की आयु अधिक होने पर उक्त पद पर चयनित किया जाता है।	
22	श्रीमती शिल्पा भदौरिया पत्नी श्री धर्मेन्द्र सिंह	विक्रमपुरा	ओझा	–	कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि	आपत्ति के आधार पर श्रीमती शिल्पा भदौरिया के आवेदन	

	भदौरिया					प्रार्थिया ग्राम डुडियन विक्रमपुरा ओझा की मूल निवासी है फिर भी परियोजना अधिकारी द्वारा मूल निवासी नहीं माना जाकर प्रार्थिया को चयन सूची में नहीं रखा गया है।	संलग्न मूल निवास हेतु प्रस्तुत प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया गया है। जिसमें दो प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ग्राम डुडियन (ओझा) का मूल प्रमाण–पत्र, फोटो परिचय पत्र मजरा डुडियन ग्राम ओझा का प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त केन्द्र विक्रमपुरा ग्राम ओझा से नाम से स्वीकृत किया गया है। इस कारण कोई भी आवेदिका ग्राम की स्थानीय निवासी न होने के कारण उक्त पद रिक्त रखा गया है,	
23	श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री राजू सिंह	हारकीजमेह	हारकीजमेह	बिंदूलता कुल प्राप्तांक–42	कार्यकर्ता	हारकीजमेह आंगनबाड़ी केन्द्र पर मेरे द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें एक अन्य आवेदिका बिंदूलता द्वारा आवेदन किया गया। उन दोनों के बराबरा अंक होने पर उक्त पद बिंदूलता का चयन किया गया। लेकिन उनके द्वारा स्वेच्छा से स्तीफा दिया गया। अतः मेरी नियुक्ति रिक्त पद पर की जाये।	श्रीमती ममता देवी के आवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया गया कि श्रीमती ममता पत्नी श्री राजू सिंह एवं बिंदूलता पत्नी श्री उम्मेद सिंह को समान अंक 42 प्राप्त हुये हैं। बिंदूलता को अधिक आयु होने के कारण चयनित किया गया। लेकिन श्रीमती बिंदूलता द्वारा पद से स्तीफा दिया गया है। जिसकी पुश्टी हेतु संबंधित को कार्यालय में बुलाया गया है। समक्ष में पुश्टी होने के उपरांत श्रीमती ममता देवी का नियुक्ति आदेश जारी किया जाये।	
24	श्रीमती सुषमा पत्नी श्री समरथ सिंह	ऊमरी	ऊमरी	सुशमा कुल प्राप्तांक–47	कार्यकर्ता	शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति व्यक्ति की गई है कि प्रार्थिया का चयन	शिकायत के आधार पर रिकार्ड के अवलोकन में पाया गया कि श्रीमती भाुश्मा	

						आंगनबाडी ऊमरी में किया गया है। किन्तु कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से मेरा नाम भिण्ड नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक–31 की मतदाता सूची में नाम अंकित होना बता रहे हैं।	देवी द्वारा आवेदन के साथ ग्राम ऊमरी का मूल निवासी, राशनकार्ड, बोटर लिस्ट संलग्न की गई है। दावे आपत्ति के दौरान श्रीमती ममता देवी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संलग्न में भिण्ड नगरपालिका से वार्ड क्रमांक–31 की मतदाता सूची के सरल क्रमांक–98 पर भाुश्मा पत्नी समरथ सिंह का नाम अंकित दर्शाया गया है लेकिन श्रीमती सुश्मा देवी की ओर से प्रस्तुत भिण्ड नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 31 की पूर्ण मतदाता सूची प्रस्तुत की है। जिसमें सरल क्रमांक–98 पर भयामसुंदर पुत्र भाम्भूदयाल का नाम अंकित होना बताया गया। श्रीमती भाुश्मा देवी द्वारा कलेक्ट्रेट से सत्यापित मतदाता सूची वार्ड क्रमांक–31 संलग्न की है। जिसके आधार पर यह स्पश्ट है कि भिण्ड नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक–31 की मतदाता सूची में श्रीमती भाुश्मा देवी का नाम अंकित नहीं है। अतः उनकी नियुक्ति यथावत रखी जाती है।	
25	सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरपुरा	डूंगरपुरा	डूंगरपुरा	–	सहायिका	आंगनबाड़ी केन्द्र डूंगरपुरा में पूर्व में सहायिका के पद पर श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह की	शिकायत के आधार पर श्रीमती बीना देवी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन किया गया। आवेदन के साथ	

						नियुक्ति की गई है। जिनके द्वारा 01.03.2009 को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त महिला अम्बाह के ग्राम खाद्यकापुरा की निवासी है। उनके पति सैनिक हैं। डूंगरपुरा में इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है। बीपीएल कार्ड भी इनका फर्जी है। अतः इनको पत्र पृथक करने की कार्यवाही की जाये।	श्रीमती बीना देवी द्वारा मूल निवास प्रमाण हेतु फोटो परिचय पत्र मूल निवासी एवं राशनकार्ड ग्राम डूंगरपुरा का संलग्न किया गया है। इसके विपरीत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ इनके निवास डूंगरपुरा ग्राम में निवास न करने संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता का आवेदन अमान्य किया जाता है।	